

केवल सदस्यों के लिये

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: प1(77-68) ईसी/ मिटिंग/98/ 2353

दिनांक 4.6.98

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 68 वी बैठक दिनांक 2.6.98 का कार्यवाही विवरण ।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक प-2(77-68) ईसी/मिटिंग/98/2269 दिनांक 14.5.98 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की 68 वी बैठक दिनांक 2.6.98 को पूर्वान्ह 11 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित की गयी । बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण सलग्न परिशिष्ट क पर अंकित है ।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात में एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये ।

प्रस्ताव 68.1

पारित प्रस्ताव 68.1

प-2(77-68) JDA/EC/9,

कार्यकारी समिति की 67 वी बैठक की पुष्टि ।

कार्यकारी समिति की 67 वी बैठक दिनांक 11.3.98 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव 68.2

पारित प्रस्ताव 68.2

कार्यकारी समिति की 67 वी बैठक में निर्णयों के की क्रियान्विति के सम्बन्ध में ।

कार्यकारी समिति की 67 वी बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर अवलोकन किया जाकर निर्देशित किया गया कि आईटम नम्बर 66.9(3), 66.9(5), 67.5, 67.7(1) की अनुपालना सात दिवस में सुनिश्चित की जावे एवं अनुपालना प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ।

प्रस्ताव 68.3

पारित प्रस्ताव 68.3

F-6 (9) JDA/ESH/83

प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले अर्दली क्षतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार के मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेशों के परिपेक्ष्य में चर्चा की गई । वर्तमान में प्रभावी अर्दली भत्ते की दरों में कोई संशोधन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों से प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग द्वारा सुविधाएं एवम् भत्ते इत्यादि प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 68.4

जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 के सलग्न अनुसूचि संख्या 8 कम संख्या 4 आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय कालम 3 भर्ती के तरीके मे संशोधन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 68.4

F-1(141)JDA/सं.प्र/82

कार्यकारी समिति की 65 वी बैठक मे 6 कनिष्ठ सहायको को आशुलिपिक के पद पर नियमित किये जाने के सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय पर निदेशक (विधि) की राय के परिपेक्ष्य मे चर्चा की गई एवं प्राधिकरण के इन आशुलिपिकों जिन्होंने भाषा विभाग से आशुलिपिक एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र को आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु पर्याप्त योग्यता माना जाकर प्राधिकरण सेवा विनियम मे शिथिलता दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव 68.5

पारित प्रस्ताव 68.5

F-18(3)JDA/PRC(8)

Awarding of Contracts to UMTDC by JDA

अरबन मैट्रो पोलिटन ट्रांसपोर्ट एण्ड डवलपमेंट कम्पनी को विभिन्न कार्यों, यथा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिंग रोड, ओवर ब्रिज, ओडोटोरियम इत्यादि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राधिकरण द्वारा निम्न दर से दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया :

- 1 9 प्रतिशत की दर से ऐसे कार्यों हेतु जिनकी डिजाइन /ड्राइंग इत्यादि कम्पनी द्वारा बनायी जावेगी ।
- 2 ऐसे कार्यों जिनकी ड्राइंग इत्यादि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी । वे कार्य 7.5 प्रतिशत की दर से दिये जावेंगे ।
- 3 ऐसे कार्य जो एक निश्चित दर पर दिये जावेंगे उसमे एजेन्सी चार्ज शामिल माने जावेंगे ।

प्रस्ताव 68.6

पारित प्रस्ताव 68.6

F-4(15)JDA/CR-195

निर्मित दुकान संख्या-8 गंदा नाला पांच बत्ती, अशोक मार्ग सी-स्कीम व्यावसायिक काम्पलेक्स की नीलामी नियमित करने के सम्बन्ध में ।

प्रकरण के सम्बन्ध मे विस्तार से चर्चा की गई चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीलामी की शर्तों मे ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में कोई शर्त अंकित नहीं थी एवम् नीलामी कर्ता को ट्रांसफार्मर लयगाने के सम्बन्ध मे कोई शर्त नीलामी की शर्तों मे सम्मिलित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकृत भी नहीं किया गया था । अतः निर्णय लिया गया कि दुकान संख्या 8 गंदा नाला, सी-स्कीम की नीलामी नियमानुसार निर्धारित दर से ब्याज एवं शास्ती वसूल करते हुवे नियमित कर दी जावें । यदि इस आशय के आदेश जारी किये जाने की दिनांक से के 3 माह की अवधि मे बोलीदाता द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो आवंटन निरस्त हो जायेगा ।

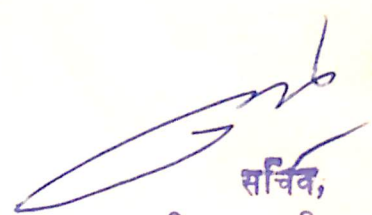
प्रस्ताव 68.7

पारित प्रस्ताव 68.7

F-7(1)JDA/सं.प्र/95

निजी सचिव का एक पद वरिष्ठ निजी सचिव मे क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावानुसार वरिष्ठ निजी सचिव के एक पद वेतन श्रृंखला 19 (3000-4500) मे क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 68.8(1) हुडको से लिए जाने वाले ऋण संबंधी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु संशोधन बाबत ।

पारित प्रस्ताव 68.8(1) प्रस्तावानुसार हुडको से लिए जाने वाले ऋण संबंधी अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने संबंधी संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
F2(210)JDA/ZE A-2/96

प्रस्ताव 68.8(2) जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित न्यायिक मामलो में अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 68.8(2) अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकारी समिति द्वारा यह संशोधन उचित नहीं पाया गया । अधिवक्ताओं को पूर्व में निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।
F5(126)JDA/144/90

प्रस्ताव 68.8(3) प्राधिकरण एवं प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते दिये जाने बाबत ।

पारित प्रस्ताव 68.8(3) मंहगाई भत्ते की दरों में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.7(1)एफ.डी./रूल्स/ 98 दिनांक 12.5.98 के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव एवम् प्राधिकरण के कर्मचारियों एवम् अधिकारियों को एरियर के नकद भुगतान का प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया ।
F4(9)JDA/184/83

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 68 वीं बैठक दिनांक 2.6.98 को पूर्वान्ह 11 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुवे :

क्र.सं०	अधिकारी का नाम व पद मय विभाग	हस्ताक्षर
1.	Manmath Kumar	Dy. Secy. Engr.
2.	V. L. Sharma	Director (F)
3.	P. L. Purohit	Dir. (Engrg)
4.	B. D. Bhattacharya	Dir. (TP)
5.	R. C. Gupta	Dy. Secy. Engr.
6.	Chhaya Bhattacharya	Addl. Com. (C)
7.	SWADESH PAL	Add. Chief Engineer (PHED)
8.	G. P. BAPAT	G. M. (F), RTDC
9.	SAHIB RAM	Chief Controller Enforcement
10.	Prahlad Sharma	Addl. Commr. RAN.
11.		Secy. JDA
12.		
13.		
14.		

सचिव;
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर